

7/10/2025
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर। श्रीमान
पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दोरे/अन्य
कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते उपपत्र
दिनांक 14/10/25 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

14/10/2025

श्रीमान साहब जी/अन्यार्थ श्रीमान
2 व 3 हाजिर नहीं। पूर्व में हाजिर
आए हाजिर नहीं। बार-बार आवक लगाई
गई हाजिर नहीं। हाजिर नहीं जाने से
एक तरफा कार्यवाही भी पारी है। अन्याय
केषणा 01 फोरमर जस्टिस की कोर्ट से पत्र
को प्राप्त है। अद्यतन साहब जी का सुनी गई
संज्ञित में विवरण इस प्रकार है कि साहब जी
का जन्म भारतीयता में प्राप्त के
आदेश से प्रो. नं. 35/2017 निर्णय दिनांक
11.11.2022 से मीना सुनता की आठ नं. 1464
में अन्तिम रजि. पारी कि गई
निर्णय विभाजन हुआ। अद्यतन रिपोर्ट
अनुसार साहब जी के तरजीम नहीं
है। अद्यतन रिपोर्टनुसार तरजीम सुनाने
पाने से प्रो. नं. 35/2017 निर्णय पर विवेक
रिपोर्ट। अन्याय फोरमर जस्टिस से अपने
पक्ष में तरजीम जलत सेना लीकर रिपोर्ट
है। अपने अद्यतन साहब जी का सुनी/कानून
का अक्षरान्त रिपोर्ट। साहब जी का प्रो. नं. 1464
साहब जी का पत्र मीना सुनता की
आठ नं. 1464/1, 1462/2 में प्राप्त के
प्रो. नं. 35/2017 निर्णय दिनांक 11.11.2022
में संलग्न नकशा है। अनुसार तरजीम
सुनाने पाने का आदेश दिया जाता है।
पत्रावली केवल सुनार लेखक जस्टिस
के रूप में आदेश सुनार जस्टिस

सहायक फिलेक्टर
(उपखण्ड/अधिकारी)
द्वारा जिला-चित्तौड़गढ़